

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(02)न्याया/2023

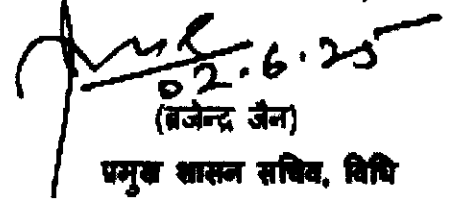
जयपुर दिनांक 02.06.2025

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित जिला न्यायालयों का गठन करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित जिला न्यायालय का नाम	प्रादेशिक सीमा का क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला न्यायालय, फलीदी	सम्पूर्ण राजस्व जिला फलीदी	फलीदी
2	जिला न्यायालय, डीडवाना	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीडवाना-कुचामन	डीडवाना
3	जिला न्यायालय, खैरथल	सम्पूर्ण राजस्व जिला खैरथल-तिजारा	खैरथल
4	जिला न्यायालय, ब्यावर	सम्पूर्ण राजस्व जिला ब्यावर	ब्यावर
5	जिला न्यायालय, बाड़मेर	सम्पूर्ण राजस्व जिला बाड़मेर	बाड़मेर
6	जिला न्यायालय, डीग	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीग	डीग
7	जिला न्यायालय, कोटपूतली	सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली
8	जिला न्यायालय, सलूम्वर	सम्पूर्ण राजस्व जिला सलूम्वर	सलूम्वर

नोट-उपरोक्त नवसृजित न्यायालयों के सृजन स्वरूप नवसृजित जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायालयों से कम किया जाता है एवं वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायालय, बालोतरा का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बाड़मेर से बदलकर बालोतरा किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

02.6.25
(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/03/2025/969

Date: 4/06/2025

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars/ OSD, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. Concern District & Sessions Judges.
3. Concern Chief Judicial Magistrates.
4. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


04/06/2025
REGISTRAR (RULES)